

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम – 1974

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 मार्च, 1975

फाल्गुन 22ए 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 896 / सत्रह-वि-1.85.74

लखनऊ, 13 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 पर दिनांक 6 मार्च 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4ए 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4ए 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिरक्षण, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन के लिए एक निगम की स्थापना तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार

- 1 (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा/तदर्थ नियम करे।

परिभाषाएं

- 2 इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "निगम" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वन निगम से है ;
 - (ख) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, जिला परिषद, अन्तरिम जिला परीषद, क्षेत्र समिति अथवा गाँव सभा से है ;
 - (ग) "प्रबन्धक निदेशक" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्धक निदेशक से है ;
 - (घ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;
 - (ङ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;
 - (च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

निगम की स्थापना तथा उसका गठन

निगम की स्थापना

3. (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।
- (2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।
- (3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी होगा।

- (4) निगम का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहाँ वह आवश्यक समझे।

निगम का गठन

4. (1) निगम में एक अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे अर्थात् –
- (क) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक को निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जायेगा, और
- (ख) तीन से अनाधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें उसकी राय में वनों के परिरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे।
- (1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों

5. कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नियुक्त किये जाने अथवा होने के लिए **के लिए अनर्हतायें** अनर्हित होगा ; यदि वह –
- (क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्वित हो; या
- (ख) अनुन्योचित दिवालिया हो, या
- (ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारिरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो; या
- (घ) राज्य सरकार की राय में निगम सर्वोत्तम हित में कार्य करने में असफल रहा हो अथवा उसके लिए असमर्थ हो गया हो या उसने अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे कि उसका उस रूप में बना रहना निगम अथवा जन साधारण के हित के लिए हानिकारक हो गया हो ; या
- (ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो , या
- (च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो जो निगम के साथ, उसके, द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश अथवा हित रखती हो :
- प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) अथवा खंड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका, वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हों –
- (1) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा बिक्री, क्रय, पट्टा या विनिमय के लिए किये गये किसी करार में ;

- (2) धन के ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में ;
- (3) किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें निगम के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो ;
- (4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रूपये से अनाधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो यदा-कदा बिक्री में, कोई अंश या हित है।

स्पष्टीकरण किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायेगा कि उसका निगम के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है।

अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों की पदावधि

- 6 (1) निगम के अध्यक्ष की, यदि वह राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाला कोई अधिकारी न हो, या किसी अशासकीय सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।
- (2) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्तक्षारित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

आकस्मिक रिक्तियाँ

- 7 (1) यदि अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य आशक्तता के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाए अथवा उन परिस्थितियों में अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसके स्थान पर कार्य करने तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।
- (2) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी अशासकीय सदस्य के त्याग पत्र पर दिये जाने अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य, यथास्थिति, उस अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाए, अवशिष्ट पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

निगम के कर्मचारियों

की नियुक्ति 8 (1) निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से, जैसा भी राज्य सरकार निर्देश दे, की जायेगी।

(2) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी को ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जिनके बारे में सहमति हो जाए नियुक्त कर सकता है।

वेतन तथा भत्ते – 9 (1) अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य निगम की निधि में ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य कर्मचारी निगम की निधि से ऐसे वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

**प्रबन्ध निदेशक द्वारा
नियंत्रक बैठक**

10 निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए निगम के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

11 (1) निगम की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित निगम का कोई सदस्य, निगम की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) अध्यक्ष, निगम की किसी विषय में सहायता देने अथवा परामर्श देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को निगम की बैठक में उपस्थिति होने के लिए आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

हित के कारण कार्यवाहियों

में भाग लेने के लिए अनर्हता

- 12 कोई सदस्य, जो निगम की ओर से की गई अथवा किये जाने के लिए प्रस्थापित किसी संविदा ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अथवा हितबद्ध हो, शीघ्रतम सम्भव अवसर पर निगम को अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उसकी किसी भी बैठक में जब कभी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर विचार-विमर्श हो, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक कि सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य सदस्यों द्वारा उसकी अनुपस्थिति की अपेक्षा न की जाए और उपस्थित होने के लिए इस प्रकार अपेक्षित कोई सदस्य किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर मत नहीं देगा।

रिक्ति आदि के कारण कोई

कार्य अविधिमान्य नहीं होगा

- 13 निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निगम में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

निगम के कृत्य और उसकी शक्तियाँ

निगम के कृत्य

- 14 इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सम्पदा का विदोहन करना ;
 - (ख) राज्य के भीतर वन विज्ञान से सम्बन्धित परियोजनाएं तैयार करना ;
 - (ग) वन तथा वन-उत्पाद से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना और वन विज्ञान के सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना;
 - (घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जायें अथवा सौंपे जाएं ;
 - (ङ) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

निगम की शक्तियाँ

- 15 (1) निगम को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा

कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों।

- (2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी :-
 - (क) वन के कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए कर्मशालाएं अथवा कारखाने स्थापित करना ;
 - (ख) प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन करना ;
 - (ग) किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा अथवा ठहराव करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ;
 - (घ) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना और अपनी निधियों का प्रबन्ध करना; और
 - (ङ) व्यय करना तथा ऐसे व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत करना जिन्हें निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

**निगम की अन्य व्यक्तियों
की प्रेरणा पर परियोजनाओं
को अपने हाथ में लेने की शक्ति**

- 16 निगम, राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध पर, किसी वनरोपण परियोजना के निष्पादन को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिसके बारे में सहमति हो जाए, अपने हाथ में ले सकता है।

वित्त लेखे तथा लेखा परीक्षा

निगम की निधि

- 17 (1) निगम की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि होगी और जिसमें निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन जमा किया जाएगा।
- (2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय को पूरा करने में किया जायेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

- (3) निधि की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निगम को ऐसी नगद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिए आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करने से प्रचारित करने वाली न समझी जायेगी।

निगम की उधार लेने की शक्ति

- 18 (1) निगम, समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के जिन्हें राज्य सरकार का सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अवधारित करे अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई धनराशि या तो बन्ध-पत्र या निधि पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से या बैंकों से ठहराव करके उधार ले सकता है।
- (2) इस धारा के अधीन निगम द्वारा जारी किया गया निधि पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरिम किया जायेगा अथवा ऐसी अथवा ऐसी रीति से उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी या उसे सोचित किया जायेगा जो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे।

निगम को वित्तीय सहायता

- 19 राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल के सम्यक विधीय विनियोजन के पश्चात समय-समय पर निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धों तथा शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे ले सकती है।

निगम को ऋण 20 राज्य सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

ऐसे निबन्धों तथा शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करे निगम को ऋण दे सकती है।

ऋणों का प्रतिसंदाय

- 21 (1) निगम अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिसंदाय के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगा।
- (2) निक्षेप निधि, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अनुरक्षित तथा विनियोजित की जायेगी और उपयोग में लायी जायेगी।

बजट

- 22 निगम प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में बजट तैयार

करेगा जिसमें निगम की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय दर्शित की किए जायेंगे।

लेखे तथा लेखा परीक्षा

- 23 (1) निगम उचित लेखे रखेगा और लेखे का वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत-तुलन पत्र भी है, ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे।
- (2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित किये जायेंगे और ऐसा लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को देय होगा।
- (3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति की ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो किसी स्थानीय निकाय के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के होते हैं और विशिष्टियाँ उसे बहियाँ, लेखे, सम्बद्ध बाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित रात्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।
- (5) **राज्य सरकार**
- (क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निगम के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगी ; और
- (ख) निगम के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिए उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी।
- 24 (1) निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, कोई अन्य सदस्य या कोई कर्मचारी निगम के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार का दायी होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, या अन्य सदस्य या कर्मचारी के रूप में काम करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।
- (2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।
- (3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में, अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पाई जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

- (4) उपधारा (3) को कोई बात निगम की इस बात का निवारित नहीं करेगी कि वह उसमें निर्दिष्ट धनराशि की, यथास्थिति, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी को निगम द्वारा देय किसी धनराशि में से कटौती कर ले।

वाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

- 25 (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निगम नीति प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्ग-दर्शित होगा जो उसे, राज्य सरकार द्वारा दिये जाएं।
- (2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निर्देश जारी कर सकती है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

- 26 (1) निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार निर्देश दे एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा, तैयार करेगा और उसे राज्य को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जाएगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात उसे यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।
- (2) निगम राज्य सरकार के ऐसे समय पर ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निर्देश दे ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्थापित या वर्तमान कार्य कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियां जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

प्रकीर्ण

स्थानीय निकाय निगम को सहायता देंगे

- 27 (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय निगम को ऐसी सहायता देगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए ऐसे अभिलेख, मानचित्र, रेखांक तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेगा जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में अपेक्षा करे।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसकी राय में निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निर्देशों का पालन करना उस स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा।

सद्भाव पूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

- 28 काई वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या निगम या उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तदुद्धान बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिए आशयित हो।

सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे

- 29 निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सदस्य और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों, जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

निगम की कार्यवाहियों आदेशों तथा अन्य लिखितों का अधिप्रमाणीकरण

- 30 निगम की समस्त कार्यवाहियाँ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में, निगम की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेगी और गिनम द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखित निगम के ऐसे कर्मचारी को जो उसके तदर्थ प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

31 (1) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, भारतीय वन अधिनियम 1927 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, निगम को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कर्तव्य न हों और जिन्हें वह आवश्यक समझें, निगम के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

32 राज्य सरकार, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 72 के अधीन वन अधिकारी की समस्त अथवा कोई शक्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी कर्मचारी को विनिहित कर सकती है और ऐसी शक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक या ऐसा कर्मचारी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वन अधिकारी समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

33 (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् –

(क) वह रीति, जिसके अनुसार, 21 के अधीन निक्षेप निधि स्थापित अनुरक्षित और विनियोजित की जायेगी तथा उपयोग में लाई जायेगी ;

(ख) धारा 24 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था यदि कोई हो, भी हो ;

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाय।

- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाए गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त, अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम

- 34 (1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम के शासन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् –
- (क) निगम के प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें तथा अध्यक्ष, तथा अशासकीय सदस्यों को दिये जाने वाला यात्रा तथा दैनिक भत्ता ;
- (ख) निगम की बैठकों के समय तथा स्थान और बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम ;
- (ग) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा रही हो।

निरसन तथा अपवाद

- 35 (1) उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 एतद् निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही ही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 13

सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हो गया था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या
15ए 1974